

## किसी दूसरे के भवन में कर्मचारियों के साथ हुई दुर्घटनाओं को रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी किस पर है ? (Who is responsible for reporting accidents that occur to employees at someone else's premises?)

इससे सम्बन्धित रेग्यूलेशन्स का नाम है रिपोर्टिंग ऑफ इन्जरीस, डीसीजेज एन्ड डेन्जरेस अकरेन्सेस रेग्यूलेशन्स 1995 (RIDDOR).

इन रेग्यूलेशन्स के तहत अधिसूचित करने का कर्तव्य 'जिम्मेदार व्यक्ति' पर है. निम्नलिखित तालिका में सारांश दिया गया है कि अधिकांश कार्यस्थलों पर जिम्मेदार व्यक्ति कौन है :

मृत्यु बड़ी चोट-चपेट तीन दिन से ज्यादा बनी रहने वाली चोट, या बीमारी का मामला

काम कर रहे कर्मचारी के बारे में  
उस व्यक्ति का रोजगारदाता.

किसी अन्य के नियंत्रण में कार्यस्थल में कार्य कर रहे स्वरोजगार में लगे व्यक्ति के बारे में  
भवन का मालिक व्यक्ति : कोई भी व्यवसाय, कारोबार या अंडरटेकिंग करने के सम्बन्ध में घटना के समय.

बड़ी चोटें, तीन दिन से अधिक रहने वाली चोटें, या बीमारी के मामले

अपने नियंत्रण के कार्यस्थल में स्वरोजगार में लगे व्यक्ति के बारे में  
स्वरोजगार में लगे व्यक्ति या उनकी ओर से कार्यरत कोई और व्यक्ति

मृत्यु या ऐसी चोट जिसमें इलाज के लिए अस्पताल ले जाने की जरूरत हो (या अस्पताल में हुई कोई बड़ी चोट-चपेट)

ऐसा व्यक्ति जो काम तो नहीं कर रहा लेकिन किसी दूसरे को काम से प्रभावित हो रहा तो, उदाहरण के लिए जनता का सदस्य, छात्र

भवन का नियंत्रक व्यक्ति जहाँ, या चल रहे किसी काम के संदर्भ में, वह दुर्घटना जिसके कारण चोट-चपेट लगी - घटना के समय, और उनके द्वारा कोई व्यापार, कारोबार करते समय उस सम्बन्ध में या अन्डरटेकिंग.

खतरनाक घटनाएँ

खतरनाक घटनाओं में से जो उस भवन के नियंत्रक व्यक्ति द्वारा अधिकांश रिपोर्ट करने योग्य हो, जहाँ पर खतरनाक घटनाएँ हुई हो या जो चल रहे काम के सम्बन्ध में हुई हों.

खानों, खदानों, ऑकशोर स्थापनाओं, कुँओं और गोताखोरों के परिचालनों की रिपोर्ट में अपेक्षाएँ अलग-अलग होती हैं. पूर्ण विवरण L-73 में उपलब्ध है.

सन्दर्भ

L73, A guide to the reporting of injuries, diseases and dangerous occurrences Regulations 1995, (ISBN 0717624315 - एच एस ई बुक्स से प्राप्त किया जा सकता है.)

- RIDDOR Explained - free leaflet